न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 122/ 2011

विशनु कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1 बलविन्द्र सिंह पुत्र मनी सिंह जाति जट सिख निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गुरचरण सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 सुखपाल कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 चरणजीत कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 सुखपाल कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 सोहनलाल पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7 स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री थावर दास सेठी अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 श्री राजेन्द्र डाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6

निर्णय दिनांक : 4.12.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चक 31 के एस डी के खाता संख्या 83/64 मु. न. 37–38 का हिस्सेदार काश्तकार है। प्रार्थी के उक्त रकबा के साथ ही अप्रार्थीयान का म.न .38 का रकबा लगता है तथा मु.न .38 के कि.न.23 के साथ ही रासता सड़क आम चलती है। प्रार्थी की जमीन में आने जाने का कोई रास्ता नही है अतः वह अप्रार्थीयान संख्या 1 ता 5 के खातेदारी रकबा चक हाजा के मु.न. 38 के कि.न. 23 व 18 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो कि प्रार्थी के मुरब्बा नं. 38 के कि.न. 14 के साथ जाकर लगेगा। इस प्रकार उसको आवागमन में सुविधा हो सकेगी। प्रार्थी मुआवजा अदा करने को तैयार है, मौके रास्ता चल रहा है, मगर अब अप्रार्थीयान बाधा पैदा कर रहे है अतः अप्रार्थीयान संख्या 1 ता 5 की उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 6 सोहनलाल की भूमि में से रास्ता दिलाया जावे ताकि आवागमन में सुविधा हो सके। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अप्रार्थीयान 1 ता 5 की भूमि चक 31 के एस डी तहसील सादुलशहर के मु.न. 38 के कि.न. 23 व 18 में से 1–1 बिस्वा रास्ता दिलाने का स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे। अगर उक्त

Scanned by CamScanner

रास्ता प्रस्तावित किसी कारणवश स्वीकृत ना हो सके तथा अप्रार्थी 6 में रकबा मु.न. 38 के कि.न. 25, 16 में से रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सोहनलाल ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रार्थी ने तो अप्रार्थी के रकबा की कोई जमाबंदी पेश की है एव न ही प्रार्थना पत्र की पलीडिंग में कही यह दर्शाया है, कि प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्व कब बिनाये प्रार्थना पत्र हासिल हुआ है। कानूनन जब तक कॉज ऑफ एक्शन हासिल नही होता है, न्यायालय में अप्रार्थी के विरूद्व कोई अनूतोष प्राप्त नही किया जा सकता है, एवं न ही अप्रार्थी के रकबा से सम्बधित कोई दस्तावेज , जमाबदी आदि पेश कही गयी है, जहां से प्रार्थी रास्ता की मांग करता है। लिहाजा दरख्वास्त आदेश 7 नियम 11 सी पी सी में मय हल्फनामा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमायें जाने की कृपा करे। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रिपोर्ट प्राप्त हुयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में पटवारी की रिपोर्ट में रास्ता दिया जाना उचित बताया है, इसी अनूसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वैकल्पिक अनूतोष लेकर आये है , कि.न. 23 व 18 में से स्वीकृत न हो तो 25–16 से दिया जावे। संबधित खातेदारों को ना तो पक्षकार बनाया है एव ना ही संबंधित भूमि का रिकॉर्ड पेश किया है, कि किससे रासता चाहते है। 2011 से झूठे तथ्यों चला रहे है, अतः मय हर्जा खारिज किया जावे। अतः बिना रिकॉर्ड व बिना सही पक्षकारों के प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही है अतः प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जिस किला में रास्ता चाहा है उन किलों से सम्बधित दस्तावेज जमाबंदीया पेश नही की है एव जिससे यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि मांगे गये अनूतोष में रिकॉर्डड खातेदार कौन कौन है एव प्रार्थी को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे है, एव प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कही भी स्पष्ट नही है कि वह रास्ता कहां चाह रहे है प्रार्थीगण के अभिवचनों में कही स्पष्ट नही है कि प्रार्थी रास्ता किन किलों में से चाह रहा है प्रार्थी का प्रार्थना स्पष्ट नही है एव ना ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी उक्त विवेचन के आधार स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.03 16:47:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: